जनगणना कार्य निदेशास्त्य राज. जयपुर दिनांक

1048

राजस्व (युप-1) विभाग

क्मांकः प. 9(14)राज -1/2016

जयपुर, दिनांक : 2016

-: अधिसूचना :-

रास्ट्या-8 के अनुसार होगा :-अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम निर्देश देती है कि जिला हनुमानगढ, तहसील नोहर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारकी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्वात राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजरव मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्दारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 16, के प्रावधानों के

		मन्दराना			रायकान		
 322.238	257	चक	3007.429	1278	्रीविक	1	ယ
040.668	001	नाथोवाला	0011001	100			
 040 600	001	बाज्य	3547301	2597	भगवानसर		2
225.651	550	शिवपुरा (1आरपीएम)	588.967	4183	1आस्पीएम (स्तनपुरा)	हनुमानगढ /नोहर	_
2	संख्या			संख्या			T
क्षेत्रफल	पन		क्षत्रफल	· ਪੂ			
(हैक्टेयर में)	(हैंव				-		
जनसंख्या / क्षेत्रफल	जनसंख	का नाम	(हक्टयर म)	(8			
राजस्व ग्राम की	राजस	राजस्व ग्राम	जनसंख्या/क्षत्रफल	जनस	थाम का नाम	DINGD	4
प्रस्तावितं नवीन	уксп	प्रस्तावित नवीन	मूल राजस्व ग्राम की	मूल रा	मूल राजस्व	जिली/	. 6

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, हुनुमानगढ़ को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

सयुक्त शासन सचिव

of compa